

प्रारंभिक परीक्षा

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तापमान क्यों बढ़ रहा है?

संदर्भ

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भीषण गर्मी पड़ रही है, उत्तरी आंध्र प्रदेश के जिलों में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है तथा तेलंगाना के सभी 33 जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया है।

तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बढ़ते तापमान के पीछे कारण -

- **उष्णकटिबंधीय स्थान (कर्क रेखा के निकट):** दोनों राज्य कर्क रेखा के निकट स्थित हैं, जहां गर्मियों के महीनों के दौरान तीव्र सौर विकिरण प्राप्त होता है, क्योंकि सूर्य लगभग सीधे सिर के ऊपर होता है।
- **स्थलरुद्ध और महाद्वीपीय जलवायु (तेलंगाना):** तेलंगाना में बड़े जल निकायों का अभाव है, जिसके परिणामस्वरूप तापमान में सीमित संतुलन होता है। इससे दिन के समय तेज़ गर्मी होती है, जो महाद्वीपीय जलवायु की एक विशिष्ट विशेषता है।
- **चट्टानी भूभाग और काली मिट्टी:** दोनों राज्यों में दक्कन के पठार का चट्टानी भूभाग और ऊष्मा-अवशोषित करने वाली काली मिट्टी अधिक गर्मी को सोख लेती है, जिससे तापमान बढ़ जाता है।
- **हरियाली और सिंचाई का अभाव:** न्यूनतम वन क्षेत्र और सीमित ग्रीष्मकालीन कृषि गतिविधि वाष्पीकरण शीतलन को कम करती है। मिट्टी में नमी के बिना, सतह का तापन कम से कम या मध्यम होता है।
- **विलंबित मानसून और कम मानसून-पूर्व वर्षा:** मार्च और मई के बीच न्यूनतम वर्षा और 10 जून के बाद मानसून के आगमन के कारण, बादल कम छाए रहते हैं, जिससे बिना फिल्टर किए सौर तापन संभव हो पाता है।
- **वाष्पीकरण शीतलन का अभाव:** खराब सिंचाई और चट्टानी भूमि मिट्टी की नमी को कम करती है, जिससे वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन सीमित हो जाता है, जो भूमि की सतह के प्राकृतिक शीतलन के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- **अपर्याप्त ताप-तरंग पूर्व चेतावनी प्रणालियां:** मजबूत, प्रति घंटा आधारित पूर्वानुमान प्रणालियों की अनुपस्थिति, बढ़ते तापमान के लिए तैयारी और समय पर प्रतिक्रिया में बाधा डालती है।

स्रोत: [The Hindu: Why are temperatures rising in A.P. and Telangana?](#)

बेल्ट एंड रोड पहल(Belt and Road Initiative)

संदर्भ

कोलंबिया ने औपचारिक रूप से चीन की विशाल बेल्ट एंड रोड अवसंरचना पहल में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की।

चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के बारे में -

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आर्थिक विकास रणनीति है और इसे "वन बेल्ट वन रोड" (OBOR) या "न्यू सिल्क रोड" के नाम से भी जाना जाता है।
- **लॉन्च: 2013**
- **उद्देश्य:** एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अन्य स्थानों पर वैश्विक व्यापार, बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ाना।
- **BRI को दो मुख्य घटकों में विभाजित किया गया है:**
 - **सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट:** इसका उद्देश्य चीन को सड़कों, रेलवे और पाइपलाइनों के नेटवर्क के माध्यम से मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप से जोड़ना है। भूमि आधारित सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट में विकास के लिए छह प्रमुख गलियारे हैं:
 - चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC)।
 - नया यूरेशियन लैंड ब्रिज आर्थिक गलियारा।
 - चीन-इंडोचीन प्रायद्वीप आर्थिक गलियारा।
 - चीन-मंगोलिया-रूस आर्थिक गलियारा।
 - चीन-मध्य एशिया-पश्चिम एशिया आर्थिक गलियारा।
 - चीन-म्यांमार आर्थिक गलियारा।
 - **21वीं सदी का समुद्री रेशम मार्ग:** इसका उद्देश्य बंदरगाहों और शिपिंग मार्गों के नेटवर्क के माध्यम से चीन को दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व से जोड़ना है।
- **सहभागी देशों की संख्या:** लगभग 140



CRITICISMS AND CHALLENGES



Debt and Financial Risks

Some BRI projects have led to concerns about debt sustainability in recipient countries, with critics warning of "debt trap diplomacy".

- Chinese loan contracts often contain clauses that give Beijing significant leverage, including the right to demand repayment at any time



Corruption and Transparency

There have been multiple reports of corruption and opaque dealings involving BRI projects, particularly in countries such as Pakistan, Indonesia, Malaysia, and Kenya

- The Chinese government has responded by embedding anti-corruption officers in some BRI countries



Project Execution

Not all BRI projects have been successful; for example, the collapse of a renovated railway station in Serbia in 2024

which was part of a BRI project, led to fatalities and public protests over construction quality and transparency

तथ्य -

- **आर्थिक प्रभाव:** विश्व बैंक का अनुमान है कि BRI भाग लेने वाले देशों में व्यापार प्रवाह को 4.1% तक बढ़ा सकता है और वैश्विक व्यापार लागत में 1.1% से 2.2% तक की कमी कर सकता है।
 - यदि यह पहल इसी प्रकार जारी रही तो अनुमान है कि 2040 तक विश्व जीडीपी में प्रतिवर्ष 7.1 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि होगी।

स्रोत: [The Hindu: Colombia joins Belt and Road initiative as China courts Latin America to counter U.S.](#)



भारतीय याक (Indian Yak)

संदर्भ

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के चार संस्थानों के विशेषज्ञों ने पहली बार भारतीय याक का गुणसूत्र-स्तरीय जीनोम (chromosome-level genome) तैयार किया है।

भारतीय याक के बारे में -

- **वैज्ञानिक नाम:** बोस ग्रुनिएन्स
- अक्सर इसे हिमालय का जहाज कहा जाता है
- **भौगोलिक वितरण:** भारत में याक लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में 7,000 फीट से ऊपर पाए जाते हैं।
- **महत्व:** यह उच्च ऊंचाई पर रहने वाले निवासियों की अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है, जो मांस, दूध और परिवहन के लिए इस पर निर्भर हैं।
 - हिमालयन याक को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के वैज्ञानिक पैनल द्वारा खाद्य पशु के रूप में स्वीकार किया गया है।



- **पालतूकरण के प्रारंभिक साक्ष्य:** तिब्बत के शन्नान प्रान्त में स्थित बंगगा नामक बस्ती में खोजे गए।

स्रोत: [The Hindu: Himalayan leap for yak genomic science](#)

STUDY IQ
IAS

ई-मेथनॉल संयंत्र(e-methanol plant)

संदर्भ

विश्व का पहला व्यावसायिक पैमाने का ई-मेथनॉल संयंत्र डेनमार्क में खुला।

ई-मेथेनॉल क्या है?

- यह एक निम्न-कार्बन ईंधन है, जो हरित हाइड्रोजन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयोजित करके बनाया जाता है।
- यह जीवाश्म आधारित ईंधन के लिए एक स्वच्छ ऊर्जा विकल्प के रूप में कार्य करता है।
- उत्पादन प्रक्रिया:
 - हरित हाइड्रोजन उत्पादन: हाइड्रोजन का उत्पादन जल के नवीकरणीय ऊर्जा-संचालित इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से किया जाता है।
 - कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर: CO₂ को औद्योगिक फ़्लू गैसों (जैसे स्टील या सीमेंट संयंत्र) या प्रत्यक्ष वायु कैप्चर जैसे स्रोतों से कैप्चर किया जाता है, जिससे उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलती है।
 - मेथनॉल संश्लेषण: हाइड्रोजन और CO₂ को दबाव में उत्प्रेरक रिएक्टर में संयोजित किया जाता है, जिससे न्यूनतम उप-उत्पादों के साथ मेथनॉल का उत्पादन होता है।
- मुख्य लाभ:
 - अवसरचना-संगत: वर्तमान ईंधन प्रणालियों में बड़े बदलाव के बिना इसका उपयोग किया जा सकता है।
 - स्थिर: कमरे के तापमान और परिवेश दबाव पर आसानी से संग्रहीत किया जा सकता है।
 - बहुमुखी: सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है या अन्य ईंधन (जैसे गैसोलीन या केरोसिन) में परिवर्तित किया जा सकता है।
- अनुप्रयोग:
 - शिपिंग उद्योग: स्वच्छ समुद्री ईंधन।
 - सड़क और वायु परिवहन: गैसोलीन और केरोसीन जैसे व्युत्पन्न के माध्यम से।
- चुनौतियाँ:
 - उच्च लागत: जीवाश्म मेथनॉल की तुलना में बहुत महंगा है क्योंकि:
 - महंगी नवीकरणीय बिजली
 - उत्पादन अकुशलताएं

मेथनॉल अर्थव्यवस्था कार्यक्रम (भारत) – नीति आयोग द्वारा

- उद्देश्य: तेल आयात बिल, जीएचजी उत्सर्जन को कम करना, तथा मेथनॉल उत्पादन के लिए घरेलू संसाधनों (जैसे कोयला और अपशिष्ट) का उपयोग करना।
- फीडस्टॉक: मेथनॉल का उत्पादन निम्न से होता है:
 - उच्च राख वाला कोयला
 - कृषि अवशेष
 - ताप विद्युत संयंत्रों से CO₂
 - प्राकृतिक गैस
- लाभ: मेथनॉल-संबंधित क्षेत्रों में लगभग 5 मिलियन नौकरियां पैदा होने की संभावना।
 - एलपीजी में 20% डीएमई मिश्रण से सालाना 6000 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है।

भारत स्वच्छ ईंधन के रूप में हरित मेथनॉल की खोज कर रहा है, लेकिन उसके पास अभी तक डेनमार्क की तरह वाणिज्यिक पैमाने पर ई-मेथनॉल संयंत्र नहीं है।

स्रोत: [Reuters: World's first commercial-scale e-methanol plant opens in Denmark](#)

अनुच्छेद-143

संदर्भ

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य के राज्यपालों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर उनकी मंजूरी की समयसीमा और न्यायिक समीक्षा के संबंध में संविधान के अनुच्छेद-143(1) के तहत सर्वोच्च न्यायालय की राय मांगी है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 -

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद-143 भारत के राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण कानूनी या संवैधानिक मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 143 के अंतर्गत संदर्भ के प्रकार:
 - अनुच्छेद-143(1) – विधि या तथ्य के प्रश्नों पर सलाहकारी राय
 - राष्ट्रपति किसी भी विधि संबंधी प्रश्न या सार्वजनिक महत्व के तथ्य को सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भित कर सकता है।
 - सर्वोच्च न्यायालय मामले की सुनवाई के बाद अपनी राय दे सकता है।
 - यह राय केवल परामर्शात्मक है (राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं)।
 - अनुच्छेद 143(2) – संविधान-पूर्व संधियों या समझौतों से संबंधित मामले
 - यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है जो संविधान के प्रावधानों (जैसे अनुच्छेद 131) के कारण न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो राष्ट्रपति उसे संदर्भित कर सकते हैं।
 - ऐसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय को अपनी राय देनी चाहिए।

अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उल्लेखनीय मामले -

- बेरुबारी यूनियन केस (1960) के बारे में: न्यायालय से पूछा गया कि क्या संसद के पास भारतीय क्षेत्र (बेरुबारी यूनियन) को पाकिस्तान को सौंपने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस तरह के हस्तांतरण के लिए संसद द्वारा पारित कानून की बजाय संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है।
- राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामला (1993): यह एकमात्र ऐसा मामला है जहां तथ्य का प्रश्न उठाया गया था: क्या बाबरी मस्जिद के निर्माण से पहले कोई हिंदू मंदिर या कोई हिंदू धार्मिक संरचना मौजूद थी।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए इसका उत्तर देने से इनकार कर दिया कि यह प्रश्न उसके सलाहकार क्षेत्राधिकार के लिए उपयुक्त नहीं है।
- विशेष संदर्भ संख्या 1, 1998 - झारखंड विधानसभा मामले में सांसदों की अयोग्यता की गुंजाइश पर।

स्रोत: [The Hindu: 'Can timelines be imposed and manner of exercise be prescribed through judicial orders?'](#)

यूपीएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त

संदर्भ

सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी और पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के नए अध्यक्ष के रूप में शपथ ली।

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के बारे में -

- **संवैधानिक स्थिति:** भारतीय संविधान के भाग XIV के तहत स्थापित संवैधानिक निकाय, जिसमें अनुच्छेद 315 से 323 शामिल हैं।
- **सदस्यों की नियुक्ति:** भारत के राष्ट्रपति यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं।
- **कार्यकाल:** 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।
- **पुनर्नियुक्ति:** उसी पद पर पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं।
- **त्यागपत्र:** यूपीएससी सदस्य भारत के राष्ट्रपति को लिखित पत्र प्रस्तुत करके त्यागपत्र दे सकता है।
- **निष्कासन एवं निलंबन:**
 - राष्ट्रपति यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य को हटा सकते हैं।
 - यूपीएससी अध्यक्ष राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इस्तीफा दे सकते हैं और उन्हें केवल सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद ही दुर्व्यवहार के आधार पर हटाया जा सकता है।
- **निष्कासन का आधार:** किसी सदस्य को हटाया जा सकता है यदि वह:
 - दिवालिया घोषित कर दिया गया है,
 - आधिकारिक कर्तव्यों के अलावा वेतन वाली नौकरी करना,
 - शारीरिक या मानसिक रूप से अयोग्य है, जैसा कि राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लिया जाता है।
- **सेवा शर्तों का विनियमन:** अध्यक्ष सदस्यों की संख्या, उनकी सेवा शर्तों और यूपीएससी कर्मचारियों की सेवा शर्तों का निर्णय करता है।
 - एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद सेवा शर्तों में सदस्य के लिए अहितकर परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
- **अतिरिक्त कार्य:** राज्य विधानमंडल संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग को संघ, राज्य या किसी स्थानीय प्राधिकरण/सार्वजनिक संस्थान के अधीन सेवाओं के लिए अतिरिक्त कार्य करने के लिए अधिकृत कर सकता है।
- **वित्तीय स्वतंत्रता:** वेतन, भत्ते और पेंशन सहित यूपीएससी के खर्च भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, जिससे वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित होती है।
- **वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना:** यूपीएससी अपने कार्यों पर एक वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है।
 - यदि आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की जाती है तो संसद के दोनों सदनों के समक्ष कारणों सहित एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

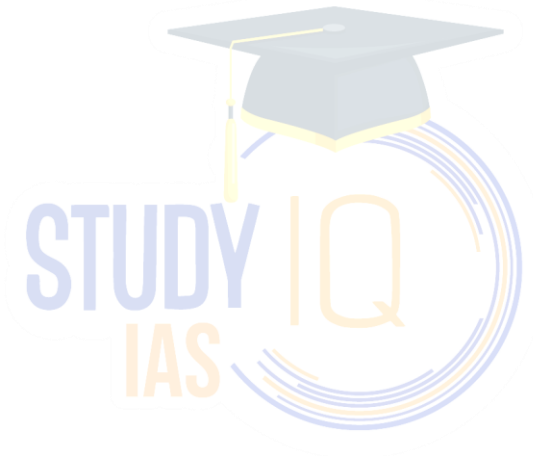
अनुच्छेद 315 से 323

अनुच्छेद	प्रावधान
अनुच्छेद 315	लोक सेवा आयोगों (संघ के लिए यूपीएससी और राज्यों के लिए एसपीएससी) की स्थापना का प्रावधान करता है।
अनुच्छेद 316	यह अधिनियम सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि से संबंधित है।
अनुच्छेद 317	सदस्यों को हटाने और निलंबन के लिए प्रावधान निर्धारित करता है।

अनुच्छेद 315 से 323

अनुच्छेद 318	राष्ट्रपति (यूपीएससी के लिए) या राज्यपाल (एसपीएससी के लिए) को सदस्यों की संख्या, कर्मचारियों और सेवा शर्तों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है।
अनुच्छेद 319	आयोग के पूर्व सदस्यों की पुनर्नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाता है।
अनुच्छेद 320	लोक सेवा आयोगों के कार्यों का विवरण (जैसे, परीक्षा आयोजित करना, भर्ती, अनुशासनात्मक मामले)।
अनुच्छेद 321	संसद या राज्य विधानमंडल को यूपीएससी या एसपीएससी को अतिरिक्त कार्य सौंपने की अनुमति देता है।
अनुच्छेद 322	कहा गया है कि आयोग का व्यय समेकित निधि (भारत या राज्य) पर भारित होता है।
अनुच्छेद 323	राष्ट्रपति या राज्यपाल को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है, साथ ही सलाह का पालन न करने पर स्पष्टीकरण भी देना होगा।

स्रोत: [Indian Express: Former Defence Secretary Ajay Kumar appointed UPSC chairman](#)



समाचार में स्थान

उरुग्वे



समाचार? उरुग्वे के पूर्व राष्ट्रपति जोस "पेपे" मुजिका का निधन हो गया।

- सीमा: ब्राज़ील, अर्जेंटीना और अटलांटिक महासागर।
- राजधानी: मोंटेवीडियो



संपादकीय सारांश

भारत में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के माध्यम से जिम्मेदार अपराधीकरण सुनिश्चित करना

संदर्भ

भारत में आपराधिक कानून पर चर्चा में अक्सर प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की अनदेखी की जाती है। हालांकि, इमरान प्रतापगढ़ी बनाम गुजरात राज्य जैसे हालिया फैसले जिम्मेदार अपराधीकरण सुनिश्चित करने में प्रक्रियात्मक कानून की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करते हैं।

उचित अपराधीकरण का महत्व -

- **राज्य की शक्ति का जिम्मेदाराना उपयोग सुनिश्चित करना:** अपराधीकरण राज्य की बलपूर्वक शक्ति का प्रयोग है। संवैधानिक अधिकारों को बनाए रखने और दुरुपयोग को रोकने के लिए इसका विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए।
- **व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा:** सिद्धांतहीन या अत्यधिक अपराधीकरण के कारण गलत गिरफ्तारियां हो सकती हैं तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।
- **कानून के शासन और सार्वजनिक विश्वास को बढ़ावा देना:** जब मूल और प्रक्रियात्मक आपराधिक कानून दोनों का ईमानदारी से पालन किया जाता है, तो इससे न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास मजबूत होता है और राज्य की कार्यवाही की वैधता बढ़ती है।
- **न्याय और सामाजिक व्यवस्था में संतुलन:** उचित अपराधीकरण वास्तविक रूप से हानिकारक आचरण की पहचान करता है, जबकि हानिरहित या तुच्छ व्यवहार के लिए दंड से बचता है, तथा सामाजिक संतुलन बनाए रखता है।
- **प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा अतिक्रमण को रोकता है:** न्यायिक रूप से निर्देशित अपराधीकरण - जैसे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा धारा 173(3) बीएनएसएस पर जोर दिया गया है - पुलिस शक्तियों पर नियंत्रण रखता है, जिससे मनमाने ढंग से एफआईआर दर्ज करने या राजनीतिक दुरुपयोग की गुंजाइश कम हो जाती है।

बीएनएसएस की धारा 173(3) एक पुलिस अधिकारी (पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे नहीं) को 3 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 7 वर्ष से कम कारावास से दंडनीय संज्ञेय अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच करने की अनुमति देती है।

- **संवैधानिक लोकतंत्र के साथ संरेखित:** संवैधानिक ढांचे में, अपराधीकरण का तात्पर्य केवल दंड से नहीं है, बल्कि उचित प्रक्रिया, समानता और मनमानी न करने जैसे मूल्यों को कायम रखने से है।

अपराधीकरण से जुड़ी चुनौतियाँ -

- **पुलिस द्वारा विवेकाधीन दुरुपयोग:** गिरफ्तारी, जांच या एफआईआर पंजीकरण में पुलिस के विवेकाधीन दुरुपयोग के कारण चुनिंदा लक्ष्यीकरण, अति-अपराधीकरण या गंभीर अपराधों की अनदेखी हो सकती है।
- **छोटे अपराधों का अति-अपराधीकरण:** छोटे या प्रतीकात्मक उल्लंघनों पर पुलिस द्वारा आक्रामक तरीके से कार्यवाही की जाती है, जबकि गंभीर अपराधों पर कम ध्यान दिया जाता है, जिससे प्रणाली की प्राथमिकताएं विकृत हो जाती हैं।
- **प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का कम उपयोग:** प्रारंभिक जांच (धारा 173 (3), बीएनएसएस) जैसे कानूनी प्रावधानों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जैसा कि इमरान प्रतापगढ़ी बनाम गुजरात राज्य मामले में देखा गया, जिससे प्रक्रियात्मक न्याय का उल्लंघन हुआ।

- **अस्पष्ट या अतिव्यापक मूल कानून:** जब आपराधिक कानूनों को ठीक से परिभाषित नहीं किया जाता है, तो उनका प्रवर्तन मनमाना हो जाता है और इससे अभिव्यक्ति या विरोध जैसी स्वतंत्रता का हनन हो सकता है।
- **पुलिस की जवाबदेही का अभाव:** संपर्क का पहला बिंदु होने के बावजूद, कमजोर निगरानी और प्रक्रियागत उल्लंघनों के लिए दुर्लभ अभियोजन के कारण पुलिस अक्सर दंड से मुक्त होकर कार्य करती है।
- **सामाजिक और राजनीतिक पूर्वाग्रह:** कुछ समुदायों या व्यक्तियों (विशेषकर अल्पसंख्यकों या असहमत लोगों) को राजनीतिक या सामाजिक कारकों के आधार पर लक्षित अपराधीकरण का सामना करना पड़ सकता है।

क्या किया जाने की जरूरत है -

- **प्रक्रियात्मक अनुशासन को कठोरता से लागू करना:** पुलिस को धारा 173(3) जैसे बीएनएसएस प्रावधानों का सख्ती से पालन करना चाहिए और अदालतों को संवैधानिक कठोरता के साथ उल्लंघनों की जांच जारी रखनी चाहिए।
- **स्पष्ट दिशा-निर्देशों को संहिताबद्ध करना और लागू करना:** प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा विवेकाधीन दुरुपयोग को कम करने के लिए गिरफ्तारी, एफआईआर पंजीकरण और जांच पर स्पष्ट प्रोटोकॉल प्रदान करना।
- **पुलिस जवाबदेही तंत्र को मजबूत बनाना:** स्वतंत्र निरीक्षण निकायों, आंतरिक लेखापरीक्षा और सार्वजनिक शिकायत तंत्रों को आपराधिक प्रक्रिया के साथ पुलिस अनुपालन की निगरानी करनी चाहिए।
- **छोटे अपराधों को अपराधमुक्त करना:** कानूनी अव्यवस्था और दुरुपयोग को कम करने के लिए, पुराने या अनावश्यक आपराधिक कानूनों का पुनर्मूल्यांकन करें और उन्हें हटाएँ, जो छोटे-मोटे आचरण के लिए दंड देते हैं।
- **जन जागरूकता और कानूनी साक्षरता को बढ़ावा देना:** व्यापक अनुपालन और सतर्कता सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों और कानून प्रवर्तन को अधिकारों, उचित प्रक्रिया और आपराधिक कानून में हाल के सुधारों के बारे में शिक्षित करना।
- **न्यायिक निगरानी सुनिश्चित करना:** न्यायालयों को कार्यकारी ज्यादातियों की जांच करने और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने में सक्रिय भूमिका निभानी जारी रखनी चाहिए।

स्रोत: [The Hindu: Principled criminalisation and the police as pivot](#)

भारत में सड़क सुरक्षा संकट के लिए तत्काल और समावेशी कार्रवाई की आवश्यकता

संदर्भ

भारत सड़क सुरक्षा संकट का सामना कर रहा है, जिसके लिए सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना तत्काल आवश्यक है।

भारत में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता क्यों है?

- **उच्च मृत्यु दर:** भारत में 2022 में सड़क दुर्घटना में 1.68 लाख मौतें दर्ज की गईं, जिसमें प्रति लाख जनसंख्या पर 12.2 की मृत्यु दर थी, जो जापान (2.57) और यूके (2.61) जैसे देशों की तुलना में कहीं अधिक है।
- **भारी आर्थिक क्षति:** सड़क दुर्घटनाओं से भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 3% प्रतिवर्ष प्रभावित होता है, जिससे राष्ट्रीय उत्पादकता और विकास में बाधा उत्पन्न होती है।
- **मानवाधिकार चिंता:** सुरक्षित यात्रा अनुच्छेद 21 - जीवन के अधिकार का हिस्सा है। प्रत्येक नागरिक को सड़कों सहित सुरक्षित सार्वजनिक स्थानों का अधिकार है।
- **शहरीकरण और गतिशीलता में वृद्धि:** 2047 तक लगभग 50% भारतीय शहरी क्षेत्रों में रहेंगे, जिससे वाहन स्वामित्व और सड़क उपयोगकर्ताओं की भेद्यता बढ़ेगी।
- **कमजोर समूहों पर प्रभाव:** पैदल यात्री, साइकिल चालक, बच्चे, बुजुर्ग और सार्वजनिक परिवहन उपयोगकर्ता खराब बुनियादी ढांचे और सड़क व्यवहार के कारण सबसे अधिक जोखिम में हैं।
- **वैश्विक प्रतिबद्धताएं:** भारत संयुक्त राष्ट्र के सड़क सुरक्षा कार्रवाई दशक का हस्ताक्षरकर्ता है और उसने 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक कमी लाने की प्रतिबद्धता जताई है।

सड़क सुरक्षा में प्रमुख चुनौतियाँ -

- **खराब सड़क डिजाइन और ब्लैक स्पॉट:** पैदल यात्री बुनियादी ढांचे की कमी, अवैज्ञानिक चौराहे और दुर्घटना-प्रवण क्षेत्र।
- **प्रवर्तन में कमी:** गति सीमा, नशे में वाहन चलाने के नियम, हेलमेट और सीटबेल्ट के उपयोग का कमजोर प्रवर्तन।
- **सड़क उपयोगकर्ता शिक्षा का अभाव:** सड़क चिन्हों, यातायात अनुशासन और सुरक्षित प्रथाओं के बारे में जनता में जागरूकता की कमी।
- **अपर्याप्त चालक प्रशिक्षण:** कई चालक, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, बिना औपचारिक प्रशिक्षण या लाइसेंस के वाहन चलाते हैं।
- **आपातकालीन प्रतिक्रिया की कमियाँ:** एम्बुलेंस की देरी से प्रतिक्रिया और अपर्याप्त ट्रॉमा सेंटर के कारण दुर्घटना के बाद की खराब देखभाल।
- **खंडित संस्थागत ढांचा:** सड़क सुरक्षा की जिम्मेदारियाँ प्रभावी समन्वय के बिना कई एजेंसियों में विभाजित हैं।

सरकार के हालिया हस्तक्षेप -

- **इंजीनियरिंग (बुनियादी ढांचा):** राजमार्गों पर 5,000 से अधिक ब्लैक स्पॉट्स की पहचान और सुधार।
 - राजमार्ग परियोजनाओं के लिए अनिवार्य सड़क सुरक्षा ऑडिट।
- **प्रवर्तन:** इलेक्ट्रॉनिक निगरानी का कार्यान्वयन : स्पीड कैमरा, सीसीटीवी।
 - सीटबेल्ट, हेलमेट और एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस) पर सख्त नियम।
- **शिक्षा:** जागरूकता अभियान और स्कूली पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा को शामिल करना।
 - जन-केंद्रित शहरी डिजाइन (सुरक्षित प्रणाली दृष्टिकोण) पर ध्यान केंद्रित करना।
- **आपातकालीन देखभाल:** अधिक आघात देखभाल केन्द्रों और तीव्र एम्बुलेंस नेटवर्क के लिए प्रयास करना।

- दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले दर्शकों की सुरक्षा के लिए गुड सेमेरिटन कानून।
- **प्रशिक्षण पहल:** प्रत्येक जिले में चालक प्रशिक्षण एवं वाहन फिटनेस केन्द्रों की स्थापना (MoRTH पहल)।

सिफारिशें और आगे की राह -

- **सुरक्षित प्रणाली दृष्टिकोण अपनाना:** मानवीय त्रुटियों को क्षमा करने वाली सड़कें डिजाइन करें - चौड़े फुटपाथ, साइकिल ट्रैक, ऊंचे क्रॉसिंग और धीमी शहरी गति सीमा।
- **सीएसआर-आधारित वित्तपोषण मॉडल:** वाहन निर्माताओं को अपने सीएसआर फंड का उपयोग 20-25 वर्षों तक सड़क सुरक्षा के लिए करने का आदेश दिया जाएगा - जिसमें शिक्षा, आपातकालीन देखभाल और ब्लैक स्पॉट हटाना शामिल होगा।
- **डेटा-संचालित नीति और जवाबदेही:** सड़क सुरक्षा प्रदर्शन की निगरानी के लिए वास्तविक समय दुर्घटना डेटा संग्रह और पारदर्शी सार्वजनिक डैशबोर्ड।
- **कमजोर उपयोगकर्ताओं के लिए शहरी नियोजन:** स्मार्ट शहरों और शहरी विस्तार परियोजनाओं में पैदल यात्री-प्रथम बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी जाएगी।
- **एकीकृत 4E रणनीति:** इंजीनियरिंग, प्रवर्तन, शिक्षा और आपातकालीन देखभाल में समन्वय को मजबूत करना।
- **निवेश को बढ़ावा:** विश्व बैंक के 109 बिलियन डॉलर के रोडमैप को लागू करना, जिससे मृत्यु दर में 50% की कमी आएगी, तथा प्रति 1 रुपए के निवेश पर 4 रुपए तक की बचत होगी।

निष्कर्ष -

भारत में सड़क सुरक्षा केवल एक तकनीकी मुद्दा नहीं है, बल्कि एक सामाजिक अनिवार्यता और संवैधानिक अधिकार है। बढ़ते शहरीकरण और वाहनों की बढ़ती संख्या के साथ, भारत एक चौराहे पर खड़ा है - या तो खंडित प्रयासों को जारी रखें या एक साहसिक, समावेशी और डेटा-समर्थित सड़क सुरक्षा व्यवस्था को लागू करें। मानवीय गरिमा में निहित विज़न जीरो दृष्टिकोण को भारत के गतिशीलता भविष्य का मार्गदर्शन करना चाहिए।

स्रोत: [The Hindu: The road to safety](#)